[12.4 · पेंशन (वृद्धा/विधवा/दिव्यांग) — देरी या रुकने की शिकायत] — ख़ाली जगह (_____) भरें, कोष्ठक वाले संकेत हटा दें, फिर प्रिंट करें। यह लाइन भी हटा दें।

सेवा में,
_____ (संबंधित ज़िला अधिकारी का पद),
ज़िला _____
द्वारा: खंड विकास अधिकारी / उपजिलाधिकारी, _____ (ब्लॉक/तहसील)

विषय: ☐ वृद्धावस्था ☐ निराश्रित महिला (विधवा) ☐ दिव्यांग पेंशन —
☐ लंबित आवेदन की स्वीकृति ☐ रुकी पेंशन फिर शुरू करने हेतु।

महोदय,
मैं _____ (नाम), उम्र _____ वर्ष, पिता/पति
_____, निवासी _____ हूँ।
आधार: _____
बैंक खाता: _____, IFSC: _____
परिवार की सालाना आय: ₹_____ (आय प्रमाण-पत्र संख्या _____)
(लागू हो तो) पति की मृत्यु दिनांक _____; दिव्यांगता _____%,
UDID _____
पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) पंजीकरण/लाभार्थी संख्या _____, दिनांक
_____
स्थिति: ☐ आवेदन अब तक लंबित है ☐ पेंशन _____ (महीना) से नहीं आई
कारण (अगर बताया गया हो): _____

अतः निवेदन है कि मेरे आवेदन का सत्यापन कर पेंशन स्वीकृत करें / रुकी पेंशन बकाया सहित फिर शुरू करने की कृपा करें।
मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर लिखी बातें मेरी जानकारी में सच हैं।

स्थान: _____ तारीख़: _____
नाम: _____
मोबाइल: _____
हस्ताक्षर/अँगूठा निशान: _____